<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

गोविन्द करण राठौड़ बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार लूणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या 107/2022</th><th>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>06-07-2022</td><td>अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण, पता 79, हनुवन्त बी सेक्टर, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.03.22 में (1) पटवार हलका झंवर गाव झंवर के नामान्तरकरण संख्या 1881 से 1923 कुल 43 की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार लूणी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि उसके द्वारा तहसीलदार लूणी से 6 बिन्दुओं की सूचना मांगी थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 81 दिनांक 07.04.22 द्वारा बिन्दु संख्या–1 हेतु 860/– रूपये की मांग की गई एवं बिन्दु संख्या 5 हेतु नियमानुसार शुल्क की मांग की गई परन्तु राशि नहीं लिखी गई। अपील में आगे बतलाया कि बिन्दु संख्या 2, 3, 4, एवं 6 हेतु किसी भी प्रकार की कोई सूचना या प्रत्युत्तर प्रदान नहीं किया गया। अपील के संलग्न 860/– रूपये का एक चैक बिना नाम का संलग्न भी किया गया।

अपीलार्थी ने बिन्दु सं0 1 से संबंधित सूचना के लिए चैक राशि 860/–रूपये (बिना नाम) का इस अपील के साथ संलग्न किया गया, प्रथम तो विधिक प्रक्रिया के तहत तहसीलदार लूणी कार्यालय को भिजवाना चाहिए था अतः उक्त मूल चैक आदेश प्रति के साथ पुनः अपीलार्थी को प्रेषित हो। अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि अब भी बिन्दु संख्या–1 व 5 से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो निर्धारित सूचना शुल्क तहसीलदार कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है।

जहां तक बिन्दु संख्या– 2, 3, 4, व 6 से संबंधित सूचना के बारे में तहसीलदार लूणी ने कोई जबाब नहीं दिया है अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाने योग्य है जो स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 2, 3, 4, एवं 6 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>